

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 18/2026 (Bank Case)

GCMS NO. - 2026/31

बैंक ऑफ बडौदा ब्रांच कार्यालय- मोदी कॉलेज, दादाबाडी, कोटा (राज.) 324009 में स्थित व कार्यरत है। जयें प्राधिकृत अधिकारी पवन कुमार जिन्दल।

- प्रार्थी

बनाम

- श्री जुनैरा खान C/o श्री मजहर अली - (ऋणी)
पता- जागो का मोहल्ला, कंसुवा, उद्योगपुरी, डीपीएस स्कूल के पास, कोटा
- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 20.05.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि बैंक ऑफ बडौदा ब्रांच कार्यालय- मोदी कॉलेज, दादाबाडी, कोटा (राज.) 324009 में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थी ने दिनांक 23.10.2023 को बैंक ऑफ बडौदा से कार ऋण रुपये 6,54,798/- (अक्षरे: रुपये छ लाख चौपन हजार सात सौ अठानवें मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में श्री जुनैरा खान C/o श्री मजहर अली की सम्पत्ति/वाहन कार **Hypothecation of Maruti Suzuki EECO 5 STR AC CNG CAR** जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ-20-CJ-8764, Registration Date 26-10-2023** है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 08.06.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के ऋण खाते में रुपये 5,59,188/- (अक्षरे पाच लाख उनषठ हजार एस सौ अठ्यासी रुपये मात्र) दिनांक 17.06.2025 तक बकाया रकम शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 17.06.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को सुना गया। प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 17.06.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 17.06.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधक श्री जुनैरा खान c/o श्री मजहर अली की सम्पत्ति/वाहन कार **Hypothecation of Maruti Suzuki EECO 5 STR AC CNG CAR** जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ-20-CJ-8764, Registration Date 26-10-2023** है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। आदेश आज दिनांक 20.05.2026 को सुनाया गया।



(पीयूष समरिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)